E-mail: director.csfjetsar@gmail.com
Phone: 01498-261261
Phone & FAX: 01498-261233

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम–मिनिरत्न कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963PLC003913
ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर :: जिला श्रीगंगानगर (राज.)

रजिस्टर्ड कार्यालयः– बीज भवन, पूसा भवन, नई दिल्ली–110012

क्रमांकः–के.रा.फा./जैत./10–05/कृषि/2015–16/ दिनांकः–08.04.2015

अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर मे रबी 2014–15 मे गेंहूँ 319.2 है0 तथा जौ 339.2 है0 की कटाई कम्बाइन से करने के उपरान्त अपने संसाधनों से तूड़ी बना कर ले जाने, तूड़ी बनाने के दौरान उसमे से निकलने वाला दाना फार्म के सुपुर्द करने के कार्य हेतु निविदायें(प्रति एकड़) एरिया हेतु आमन्त्रित की जाती है। निविदा मे भाग लेने हेतु धरोहर राशि के रूप मे प्रत्येक चक हेतु अखरे रूपये 5000.00(अखरे रूपये पांच हजार मात्र) का डिमान्ड ड्राफ्ट जो कि नेशनल सीडस कारपोरेशन लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैक, बाजूवाला(08251) पर देय हो, धरोहर राशि के रुप में निविदा के साथ जमा/संलग्न करना होगा। सीलबन्द निविदायें दिनांक 20.04.2015 को सांय 3.00 बजे तक प्राप्त की जा सकेगी जो कि उसी दिन उपस्थित ठेकेदरों के समक्ष 4.00 बजे खोली जायेगी। दिनांक 20.04.2015 को उचित दरें प्राप्त नही होने पर निविदायें दिनांक 24.04.2015 तक पुनः प्राप्त की जायेगी, जिसके लिए अलग से कोई भी सूचना जारी नही की जायेगी । नियम एवम् शर्तो की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। व निगम की वेबसाईट www.indiaseeds.com पर भी देखी जा सकती हैं। निविदा प्रपत्र अखरे रुपये 100.00 नकद जमा कर, एक फोटो, पहचान पत्र व पेन कार्ड की फोटो प्रति जमा करवा कर कार्यालय से सांय 4.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

प्रबन्धक (उत्पादन)
कृते निदेशक

E-mail: director.csfjetsar@gmail.com
Phone: 01498-261261
Phone & FAX: 01498-261233

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम–मिनिरत्न कम्पनी)
NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.
(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)
CIN: U74899DL1963PLC003913
ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004
केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर :: जिला श्रीगंगानगर (राज.)
रजिस्टर्ड कार्यालयः– बीज भवन, पूसा भवन, नई दिल्ली–110012

क्रमांकः–के.रा.फा. / जैत. / 10–05 / कृषि / 2015–16 /

दिनांकः–08.04.2015

अल्पकालीन निविदा सूचना

गेहूँ व जौ की फसल कटाई के उपरान्त तूड़ी स्वंय के साधन से बना कर ले जाने हेतु नियम व शर्तें

1. गेहूँ व जौ की तुड़ी बनाने हेतु दरें प्रति एकड़ चक वार देनी होगी।
2. तूड़ी बनाने के दौरान निकलने वाला दाना फार्म को सुपूर्द करना होगा।
3. कुल राशि का 25 प्रतिशत बोली छुटने पर तुरन्त जमा करवाना होगा तथा शेष 75 प्रतिशत राशि तूड़ी उठाने से पूर्व जमा करवानी होगी।
4. 25 प्रतिशत राशि जमा नही करवाने पर आवंटित एरिया रद्द कर दिया जायेगा।
5. तूड़ी की सुपूर्दगी लेने से पूर्व समस्त राशि जमा करवानी होगी।
6. आदेश जारी होने के 15 दिन के अन्दर तूड़ी बनाकर उठाना होगा।
7. तूड़ी आदेश जारी होने के 15 दिन के अन्दर नही बनाने तथा उसको खेत से नही उठाने पर समस्त तूड़ी को नष्ट कर दिया जायेगा, जिसका ठेकेदार स्वंय जिम्मेवार होगा।
8. तूड़ी बनाने के दौरान यदि फार्म की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान ठेकेदार एंवम उसके कामगारो द्वारा किया जाता है, तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी।
9. तूड़ी बनाने का कार्य चक प्रभारी के निर्देशानुसार करना होगा।
10. तुड़ी की सुपूर्दगी लेने के लिए चक प्रभारी से गेट पास लेना होगा।
11. उपर्युक्त के अनुबंध / करार के किसी उपबंध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दशा मे प्रकरण निगम के अध्यक्ष–सह–निदेशक को संदर्भित किया जायेगा, जिनको यह अधिकार होगा कि वह स्वंय अथवा अपने द्वारा नामित एकल विवेचक(सोल आर्बिट्रेटर) के द्वारा विवाद का निपटान आर्बिट्रेशन एण्ड कॉनसिलिएशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अर्न्तगत करवायें। पक्षकारान पर यह बाध्यकारी होगा कि उक्त दशा मे न्यायालय जाने से पहले आर्बिट्रेशन द्वारा अपने विवादों का समाधान करें।
12. आर्बिट्रेशन एण्ड कॉनसिलिएशन के उपरांत भी यदि कोई विवाद होता है तो उसका न्याय क्षेत्राधिकार फार्म की परिधि से संबंधित होगा।
13. तूड़ी बनाने के दौरान यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है तो फार्म की कोई जिम्मेवारी नही होगी।
14. कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की जन–धन की हानि एंव दुर्घटना की वैधानिक व संपूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। फार्म का किसी भी प्रकार का कोई दायित्व नही होगा। ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों को देय मजदूरी ई0पी0एफ0 दुर्घटना मुआवजा तथा समस्त वैधानिक देनदारी व दायित्व ठेकेदार की ही होगी।
15. ठेकेदार को पेन कार्ड तथा परिचय पत्र की छायाप्रति जमा करवानी होगी।
16. ब्लैक–लिस्ट सूची मे शामिल व्यक्ति इस कार्य मे भाग नही ले सकेगें।

8/4/15

प्रबन्धक (उत्पादन)
कृते निदेशक

E-mail: director.csfjetsar@gmail.com
Phone: 01498-261261
Phone & FAX: 01498-261233

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम–मिनिरत्न कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963PLC003913
ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर :: जिला श्रीगंगानगर (राज.)

रजिस्टर्ड कार्यालयः– बीज भवन, पूसा भवन, नई दिल्ली–110012

क्रमांकः–के.रा.फा./जैत./10–05/कृषि/2015–16/ दिनांकः–09.04.2015

निविदा फार्म

गेहूँ व जौ (रबी 2014–15)की फसल कटाई के उपरान्त तूड़ी बनाने हेतु

(सभी क्षेत्र एकड़ में)

ब्लॉक	चक	गेहूँ (क्षेत्र एकड़ में)	जौ (क्षेत्र एकड़ में)	दर प्रति एकड़ रूपये में	
				गेहूँ (क्षेत्र एकड़ में)	जौ (क्षेत्र एकड़ में)
1	1 BGD-B	119.0	42.0		
	1 BGD-A	....	60.0	....	
	2 BGD	36.0	27.0		
	1 BGM	.....	71.0	....	
	3 BGD	70.0	83.0		
	4 BGD	....	33.0	....	
ब्लॉक 1 का योग		225.0	316.0		
2	2 MGM	23.0	44.0		
	4 MGM	35.0	....		....
	6 MGM	31.0	50.0		
	IWM-II	60.0	....		....
	2 SAD	106.0	104.0		
	1 SAD	10.0	30.0		
	2 JKSM	32.0	28.0		
	2-1 JKSM	45.0	8.0		
	3 JKSM	45.0	....		....
	EPO	15.0	....		....
ब्लॉक 2 का योग		402.0	264.0		
3	3 MGM	14.0	161.0		
	5-7 SAD	87.0	46.0		
	9-10 SAD	4.0	43.0		
	IWM-I	66.0	18.0		
ब्लॉक 3 का योग		171.0	268.0		
कुल योग		798.0	848.0		

प्रबन्धक (उत्पादन)
कृते निदेशक